

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, अरण्य भवन झालाना, जयपुर

क्रमांक : एफ 2(205)आयोजना बजट / अप्रमुवसं / उवसं / सू.प्रौ. / 2022-23 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

वर्ष 2022-23 हेतु बजट मद 2406-01-101(10) जैव विविधता का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन 62-कम्प्यूटरीकरण एवं तत्संबंधी सूचना व्यय (आयोजना) में अधोलिखित कार्यालयों को निम्नानुसार Highly skilled Manpower के लिये बजट आवंटित किया जाता है।

S.N.	Region	Name of Office	Budget Allotment for Highly skilled man power(in lakhs)	Remarks
1.	CCF WL, JODHPUR	DCF WL, Mount Abu	1.15	
		Total	1.15	

- वित्त (आय-व्ययक) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र F4(1)FD-1(1)budget/2021 Dt. 30.03.2021 में दिए गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- वित्त (G&T) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र F2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 Dt. 30.04.2018 में लोक उपापन में मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या:एफ3(विविध)प्रमुवसं लेखा/बजट/2017-18 /8463-582 दिनांक : 23.01.2018 की पालना सुनिश्चित करें।
- बजट आवंटन फिलहाल 10 माह के लिए उपलब्ध किया जा रहा है। बजट राशि के क्रम में अतिरिक्त राशि प्राप्त होने पर शेष 2 माह हेतु बजट उपलब्ध कराया जावेगा। आवंटित बजट का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के लिए ही किया जावे तथा आवंटन उन्ही कार्यालयों के लिए है जिनमें कम्प्यूटर संसाधन की उपलब्धता है। जिन कार्यालयों में कम्प्यूटर संसाधन नहीं है वहां इस राशि का उपयोग नहीं किया जावे।
- अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित बजट की मॉनिटरिंग संबंधित मुख्य वन संरक्षक स्तर पर करनी होगी। अधीनस्थ कार्यालय इस अनुभाग से सीधे पत्राचार न करें। बजट की आवश्यकता नहीं हो तो 15 दिवस में राशि समर्पित करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।
- प्रत्येक वन मण्डल एवं मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय में प्रति माह एक से अधिक Highly Skilled Manpower नहीं रखे जावें।

अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हेतु संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से औचित्य पूर्ण प्रस्ताव भिजवायें।

(उदय शंकर)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सू.प्रौ.)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 2(205)आयोजना बजट / अप्रमुवसं / उवसं / सू.प्रौ. / 2022-23 / 1322-26 दिनांक : 14/10/22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- निजी सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, (वन) अरण्य भवन, झालाना, जयपुर।
- मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर।
- उप वन संरक्षक वन्यजीव माउंट आबू के उनके पत्रांक एफ() लेखा/उवसं/2022-23/5005 दिनांक 23.09.2022 के क्रम में।
- रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार जैन)

उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर